बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ..../पटना, दिनांक ....
06/पणन (स0)–12/2024

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक)
बिहार, पटना।

विषयः– सहकारिता विभाग अंतर्गत Cooperative Ecosystem को मजबूत बनाने के लिए Project Management Consultant (PMC) को कार्यादेश की तिथि से तीन वर्षों के लिए चयन हेतु कुल राशि रू0 8,17,74,000/– (आठ करोड़ सत्रह लाख चौहत्तर हजार) (GST सहित) मात्र के भुगतान हेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में

आदेशः– स्वीकृत।

सहकारिता विभाग अंतर्गत Cooperative Ecosystem को मजबूत बनाने के लिए Project Management Consultant (PMC) को कार्यादेश की तिथि से तीन वर्षों के लिए चयन हेतु कुल राशि रू0 8,17,74,000/– (आठ करोड़ सत्रह लाख चौहत्तर हजार) (GST सहित) मात्र के भुगतान हेतु योजना की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि की निकासी मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–105 सूचना एवं प्रचार, उप शीर्ष–0101 सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड–09–2425001050101, विस्तृत शीर्ष–28 व्यवसायिक सेवाएं विषय शीर्ष–04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाए अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। राशि की निकासी सी.एफ.एम.एस. (CFMS) में Fully voucher contingent bill के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा संबंधित PMC को निर्धारित शर्त्तो एवं दर पर भुगतान किया जायेगा। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. योजना अंतर्गत चयनित Project Management Consultant (PMC) के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों के समीक्षा/मूल्यांकन तथा उनके द्वारा समर्पित किये गये विपत्र की जाँच निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा किये जाने के उपरांत प्राप्त फलाफल के आधार पर निर्धारित दर से त्रैमासिक भुगतान राज्य योजना से उपलब्ध उपबंध/आवंटन से किया जायेगा।

5. विभाग एवं Project Management Consultant (PMC) के बीच किए गए एकरारनामा में निर्धारित शर्तो के अतिरिक्त विभाग द्वारा दिए गए विशिष्ट कार्यों का निष्पादन भी Project Management Consultant (PMC) के द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। कार्यादेश की तिथि से 03 वर्ष की सेवा पुरी कर लेने के उपरांत कार्य मुल्यांकन के आधार पर अवधि विस्तार विभाग द्वारा किया जा सकेगा साथ ही कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में सेवा समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

7. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गयी है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जाएगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 06/पणन(स0)–12/2024 के पृष्ठ संख्या– 64/टि0 पर दिनांक 27.03.2025 को दी गई है।

10. स्वीकृत्यादेश पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृति संचिका संख्या 06/पणन(स0)–12/2024 के पृष्ठ संख्या– 65/टि0 पर दिनांक 27.03.2025 को दी गई है।

ह0/–

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 602 /पटना, दिनांक 27/03/25
06/पणन(स0)–12/2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को ~~अभिश्रव~~ सहित/अवर सचिव, प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र एवं लिपिक कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
3. संबंधित PMC

27.3.25

सरकार के अपर सचिव।